(d) whether it is a fact that due to the inability of Coal India Limited, to supply coal as per linkage, Tamil Nadu Electricity Board had to resort to import coal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) Details of coal demand *vis-a-vis despatches to power* houses of Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) during each of the last three years are as follows:

(in '000 tonnes)

Year	Demand	Supplies	%Materialisation
1991-92	9273	7824	84.37%
1992-93	8888	8686	97.72%
1993-94	9970	9558	95.86%

(c) No shortfall in supply of coal to TNEB is anticipated during the year 1994-95.

(d) Presently, all the three thermal power stations of the TNEB are having comfortable stocks, the details of which are as under:

Name of the power house	Stock in '000 tonnes (as on 7-12-1994)	No. of days consumption
Tuticorin	236	17
Mettur	188	16
Ennore	90	10

In addition, sufficient coal is available at the ports. TNEB has been requested to deploy more ships to evacuate coal from the ports in order to enable Coal India Limited and Railways to maintain the present rate of supply of coal to it. As such TNEB's decision to import coal does not appear to have been taken because of less availability of indigenous coal.

कोयले की रायल्टी दरों में वृद्धि

1750. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या कोयलामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितम्बर, 1994 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "मैन्टर पुट्स ऑफ मूव टू हाईक कोल रायल्टी रेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1994 से कोयले पर रायल्टी की नई दरें निर्धारित करना अनिवार्य हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्धारित समय से पहले रायल्टी की नई दरें निर्धारित न किए जा सकने के क्या कारण हैं और अगस्त, 1994 से पहले नई दरें निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । कोयले पर रायल्टी की दरों में पूर्व में दिनांक 1-8-1991 को संशोधन किया गया था । खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) की शर्तों के अंतर्गत रायल्टी की दरों में 1 अगस्त, 1994 से पूर्व वृद्धि नहीं की जा सकती है ।

(ग) कोयले पर रायल्टी की दरों में अब दिनांक 11-10-1994 से संशोधन कर दिया गया है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना

1751. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1992 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड संचालित खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा और दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को कितनी राशि का नुकसान होने का अनुमान है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाए गए थे और उन्हें क्या-क्या दंड दिया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयले की चोरी होना

1752. **श्री आस मोहम्मद :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढुलाई के दौरान प्रति वर्ष हजार टन कोयले की चोरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका बाजार मूल्य कितना है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) कोयला कंपनियो के पास चोरी हुए कोयले/ढुलायात के दौरान उठायीगिरी किए गए कोयले की मात्रा/कीमत के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नही है। चूंकि जैसे ही कोयले से लदी वैगन/ट्रक कोलियरी रेलवे साइडिंग/लदान स्थान को छोड़ देते हैं तभी से कोयले का स्वामित्व खरीददार की ओर स्थानान्तरित हो जाता है।

(ग) ऐसी चोरी, उठाईगिरी आदि के संबंध मे रेलवे/परिवहन कंपनियों, आदि द्वारा, जोकि कोयले का परिवहन करते हैं, को रोकने के लिए अपेक्षित कदम उठाने पड़ेंगे ।

रुग्ण कोयला खानों को पुनर्गठित किया जाना

1753. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कोयला खानों की संख्या कितनी है जिन्हे या तो लाभ अर्जित करने वाली खानों के रूप मे पुनर्गठित किया जा सकता है अथवा जिनमे होने वाली हानि को कम किया जा सकता है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) घाटे में चल रही खानों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है । हाल ही में 18 खानें (भारत कोकिंग कोल लि०–3, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०–11 और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०–4) को कोल इंडिया लि० द्वारा बहुत अलाभकारी और सुधार की कोई संभावना न होने के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है । को० इं० लि० इन खानों में से 2 को नई परियोजनाओं के साथ समाहित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है जबकि अन्य दो खानों को ओपेनकास्ट खान के रूप में पुनर्निर्मित किया जा रहा है ।

Short supply of coal by Northern Coalfields Limited

1754. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that short supply of Coal by Northern Coalfields Limited has adversely affected power geneartion at Anpara Thermal Power Project of the Uttar Pradesh State Electricity Board and if so, what are the reasons therefor;

(b) how much loss of energy generation has taken place due to short supply of coal in the case mentioned above with details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to ensure that such a lapse should not happen on the part of coal supplies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): (a) Coal requirements of all major coal based thermal power stations in the country are assessed by Central Electricity Authority (CEA), based on the annual geneartion target fixed for them. Coal supplies are thereafter made as per linkages based on the recommendations of CEA.

During the period April—November, 1994 against a total linkage of 33.4 lakh tonnes, coal supplies to Anpara Thermal Power Station of UPSEB have been 84.7 lakh tonnes. The supplies were thus 104% of the linkages.

(b) In view of coal supplies exceeding the linkages, the question of power generation suffering on account of less supply of coal, does not arise.

(c) Supply of coal to power houses including Anpara TPS is given top most priority. Coal supplies to power houses is monitored on a regular basis and corrective action is taken wherever necessary.

Tenure of Chairmen of EPCs and FIEOs

1755. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the tenure of the Chairmen of Export Promotion Councils and of Federation of Indian Export Organisations and if so, the details thereof; and

(b) whether any relaxation has been made in the tenure of the Chairmen of Export Promotion Councils and of the Federation of Indian Export Organisations; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) The tenure of the Chairmen of Export Promotion Councils (EPCs) and Federation of Indian Export Organisations (FIEO) is regulated according to the provisions of the Articles of Association of the respective EPCs and FIEO. In order to bring about uniformity and smooth functioning of EPCs, it was decided in the Ministry of Commerce to fix the tenure of Chairmen of all EPCs for a period of two years. It was also decided that there would be no bar to re-election, but there